(8)

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

(श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय के पीछे, सीकर-332001)

टेलीफोन नं. 01572-272100, 273100, 273200 टेलीफेक्स 01572-273100

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई-मेल: reg.shekhauni@gmail.com

क्रमांकः- 1755 दिनांकः-22.09.2015
03-10-2015

विद्या परिषद् बैठक दिनांक 01.09.2015 का कार्यवाही विवरण :-

आज दिनांक 01.09.2015 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर की विद्या परिषद् की प्रथम बैठक कुलपति सचिवालय में दोपहर बाद 02.00 बजे आयोजित की गई जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहें -

1.	डॉ. विमलेश चौधरी	अध्यक्ष (माननीया कुलपति)
2.	श्री हनुमाना राम ईसरान,	सदस्य (संकायाध्यक्ष कला)
3.	श्री बाबूलाल जांगिड़	सदस्य (संकायाध्यक्ष समाज विज्ञान)
4.	डॉ. गोपाल सिंह कलवानियां	सदस्य (संकायाध्यक्ष विज्ञान)
5.	डॉ. एम. जेड. कुरेशी	सदस्य (संकायाध्यक्ष वाणिज्य)
6.	डॉ. दिलसुख थालौड़	सदस्य (संकायाध्यक्ष विधि)
7.	डॉ. रामजी लाल चौहान	सदस्य (प्राचार्य, राजकीय कन्या महा. झुंझुनू)
8.	डॉ. रामस्वरुप जाखड़	सदस्य (प्राचार्य, एम.डी.पी.जी. महा. झुंझुनू)
9.	डॉ. रतन लाल मिश्रा	सदस्य (प्राचार्य, सेवानिवृत)
10.	डॉ. भूपेन्द्र कुमार	सदस्य (व्याख्याता, राज. महा. सीकर)
11.	डॉ. शमसुद्दीन खान	सदस्य सचिव (कुलसचिव)

सर्वप्रथम कुलपति महोदया द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात कुलसचिव द्वारा बिन्दुवार मिटिंग के एजेण्डा प्रस्तुत किये गये जिस पर सर्वसम्मति से विचार कर निम्नानुसार निर्णय लिये गये -

1. पाठ्यक्रम का कार्योत्तर अनुमोदन -

बिन्दु संख्या 01 पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्य डॉ. रतन लाल मिश्रा ने कहा कि विश्वविद्यालय का वातावरण गरिमामय होना चाहिए। त्वरित गति से सभी निर्णय लिये जावें। इस पर कुलपति महोदया ने सभी बिन्दुओं पर त्वरित निर्णय लेने का आश्वासन दिया। डॉ. रतन लाल मिश्रा ने बोर्ड ऑफ स्टडीज (BoS) के गठन पर चिंता व्यक्त की। कुलपति महोदया ने बताया कि एक-दो दिन में BoS का गठन कर निर्णय से अवगत करा दिया जावेगा। डॉ. रतन लाल मिश्रा ने यह भी बिन्दु उठाया कि पाठ्यक्रम का अनुमोदन प्रबन्ध मण्डल से करवाया गया है, जबकि यह अनुमोदन पहले BoS से तत्पश्चात् विद्या परिषद् से होना चाहिए था, सदन को अवगत करवाया कि शैक्षणिक सत्र 01 जुलाई से शुरू होने वाला था। राज्य सरकार से मार्गदर्शन मांगा गया था, जिस पर डॉ. रतन लाल मिश्रा ने कहा कि स्टेट्यूट के होते हुए किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है।

2. परीक्षा पद्धति : –

इस बिन्दु पर माननीय सदस्य श्री बाबूलाल जांगिड़ ने कहा कि इस बार सेमेस्टर प्रणाली लागू करना संभव नहीं है, समयाभाव को देखते हुए वार्षिक परीक्षा प्रणाली लागू किया जाना ही ठीक रहेगा। इस पर सदस्यों ने सहमति जताई और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि BBA व M.Sc(IT) की परीक्षा सेमेस्टर प्रणाली से करायी जावे क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में भी ऐसा ही हो रहा है एवं अन्य सभी परीक्षाऐं वार्षिक प्रणाली से कराई जावे।

3. प्रश्न पत्र निर्माण :–

सदन ने चर्चा कर निर्णय लिया कि प्रश्नपत्रों का निर्माण विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में स्थित महाविद्यालयों के व्याख्याताओं तथा क्षेत्राधिकार से बाहर के विश्वविद्यालयों से भी करवाया जा सकता है। डॉ. रतन लाल मिश्रा ने बताया कि राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में पेपर सेटर पर कुछ प्रतिबंध है, उनको यथावत रखा जावें और यह बिन्दु मूलतः BoS से संबंधित है। यह सर्वसम्मति से तय किया गया कि राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की नई दरें तथा महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर की पेपर सेटर की दरें मंगवा ली जावें, जो अधिक हो उन पर प्रबन्ध मण्डल की बैठक में निर्णय करवा लिया जावें।

4. परीक्षा कलेण्डर : –

कुलपति समन्वयक समिति के बैठक के कार्यवाही विवरण की अनुपालना में माननीय सदस्य डॉ. दिलसुख थालौड़ ने कहा कि स्नातक परीक्षाएं 15 अप्रैल से पूर्व समाप्त होनी चाहिए और स्नातकोत्तर परीक्षाएं 15 मार्च से 30 अप्रैल तक समाप्त होनी चाहिए। यह भी निर्णय लिया गया कि 25 जनवरी तक ओ.एम.आर. शीट, रोल नंबर, अवार्डशीट, प्रेक्टिकल पेपर, उत्तर पुस्तिकाएं आदि तैयार होकर महाविद्यालयों में यथास्थान पहुंच जानी चाहिए। यह भी निर्णय लिया गया कि मॉडल पेपर (सभी विषय के) बनवा लिये जावे मॉडल पेपर 25 जनवरी तक वेबसाईट पर अपलोड हो जाने चाहिए, जिससे परीक्षक व छात्र सही तैयारी कर सके। सेमेस्टर प्रणाली से ली जाने वाली परीक्षाएं– प्रथम सेमेस्टर दिसंबर माह के द्वितीय सप्ताह में एवं द्वितीय सेमेस्टर मई माह के प्रथम सप्ताह में प्रारम्भ हो जाने चाहिए।

5. मूल्यांकन पद्धति : –

"कुलपति समन्वय समिति" की बैठक के कार्यवाही विवरण की अनुपालना में व राजभवन के निर्देशानुसार मार्किंग स्कीम की पालना की जावे। केन्द्रीकृत मूल्यांकन पद्धति संभव नहीं है क्योंकि इतना बड़ा भवन उपलब्ध नहीं है। इसलिए क्षेत्रीय स्तर पर मूल्यांकन केन्द्र स्थापित कर समन्वयक नियुक्त कर तथा BoS द्वारा परीक्षक नियुक्त कर उनके कार्यस्थल पर उत्तर पुस्तिकाएं भेजकर मूल्यांकन करवाया जावे। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने जिन महाविद्यालयों को पूर्व में समन्वयक बना रखा है उनको यथावत रखें। डॉ. रतन लाल मिश्रा ने सुझाव दिया कि BoS परीक्षकों का पैनल तैयार करे और यदि कोई परीक्षक रिफ्यूज करता है तो अगले व्यक्ति को उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन करने के लिए निवेदन किया जावे।

(3)

6. **वोकेशनल कोर्सेज।**
इस समय विश्वविद्यालय में स्वयं के विभाग नहीं है और ना ही संघटक महाविद्यालय है इसलिए वोकेशनल कोर्सेज अपनाना संभव नहीं हैं।

7. **मास कोपिंग (Mass Coping) होने पर कार्यवाही।**
मास कोपिंग के नियम व एक्ट बने हुए है जिनकी सख्ती से पालना की जावे। यदि मास कोपिंग होती है तो संबंधित महाविद्यालय की संबद्धता तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जावे। डॉ. दिलसुख थालौड़ ने सुझाव दिया कि केन्द्राधीक्षक और वीक्षक की जिम्मेदारी मास कोपिंग में तय की जावे। विश्वविद्यालय के स्तर पर पर्यवेक्षक भी नियुक्त किये जावें। CCTV कैमरा अनिवार्य रूप से परीक्षा कक्षों मे होना चाहिए। प्रश्न पत्रों के बन्डल इस प्रकार तैयार किये जाये कि 110 प्रश्न पत्र होने पर 100 + 10 का अलग-अलग बन्डल बनाकर दोनों बन्डल एक ही अलग कवरिंग लिफाफे में होने चाहिए। प्लास्टिक सील का ध्यान रखते हुए कार्यवाही की जावे। निजी महाविद्यालय में राजकीय महाविद्यालयों से पर्यवेक्षक नियुक्त किये जाने चाहिए। महाविद्यालय में परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा उपरान्त उत्तर पुस्तिकाएं यदि उसी दिन संग्रहित नहीं की जावे तो केन्द्र अधीक्षक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

8. **स्वयंपाठी छात्र का क्षेत्राधिकार का निवासी होने पर।**
माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 06.05.2015 को ली गयी बैठक के मिनिंट्स के बिन्दू संख्या 18 की अनुपालना में स्वंयपाठी छात्रों का ढाई वर्ष तक क्षेत्र का निवासी होने की शर्त को रखना ठीक नहीं है। इस बिन्दु का परीक्षण कर पुनः अगली बैठक में रखा जावें।

9. **सर्वसम्मति से निर्णय पारित किया गया कि राजकीय महाविद्यालयों पर सम्बद्धता हेतु शास्ति नहीं लगानी है।**

10. **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परीक्षा काल में प्रश्नपत्रों के बीच अन्तराल कम होना चाहिए।**

11. **माननीय मंत्री महोदय की बैठक** दिनांक 06.05.2015 का हवाला देकर सर्वसम्मति से निर्णय पारित किया गया कि **सेमेस्टर प्रणाली में परीक्षा काल में प्रश्न पत्रों के बीच अन्तराल बिल्कुल नहीं या मात्र एक दिन का ही होना चाहिए।**

12. **माननीय अध्यक्ष महोदय की पूर्व अनुमति –**

    1. **विषय प्रतिबन्धः**–सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस बिन्दु को अगली बैठक में पुनः रखा जावें।

    2. **क्या राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के छात्रों से नामांकन एवं पात्रता आवेदन पत्र भरवाना है यदि ये दोनों आवेदन पत्र भरवाये जाने है तो विश्वविद्यालय**

द्वारा निर्धारित शुल्क भी लिया जाना है या नहीं, स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के विद्यार्थियों से नामांकन व पात्रता आवेदन पत्र भरवाने पर विचार अब राजस्थान विश्वविद्यालय अलग विश्वविद्यालय हो गया है। इसलिए नामांकन, पात्रता का कार्य राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों से भी करवाये जाने है एवं माईग्रेशन प्रमाण–पत्र लेना है। नामांकन व पात्रता शुल्क लिये जाने हैं।

3. **गत वर्ष (2015) की परीक्षा में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के अनुत्तीर्ण नियमित छात्र, स्वयंवाठी छात्रों एवं पूर्व छात्र (Ex-Student) के रूप में आवेदन के बिन्दु पर विस्तार से चर्चा कर निर्णय लेना। अगर सरकार के स्तर पर भी कुछ कार्यवाही करवानी हो तो उसका भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।**

गत वर्ष 2015 की परीक्षा के राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के अनुतीर्ण नियमित छात्र स्वयंपाठी छात्र एवं पूर्व छात्र के रूप में आवेदन के बिन्दु पर चर्चा– यह बिन्दु अगली बैठक के लिए स्थगित रखा गया है परन्तु यह निर्णय लिया गया कि इस क्रम में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से पत्राचार करें राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर का अनुतीर्ण छात्र उन्हीं के विश्वविद्यालय का ही छात्र होगा यह इस विश्वविद्यालय में लागू नहीं होता है।

4. **सभी तरह के परीक्षा शुल्क व परीक्षा पारिश्रमिक राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर जैसे ही हो।**

सभी तरह के परीक्षा शुल्क तो राजस्थान विश्वविद्यालय, जयुपर की तरह रखे जा सकते है लेकिन परीक्षा पारिश्रमिक जैसे केन्द्राधिक्षक का मानदेय, अतिरिक्त केन्द्राधिक्षक का मानदेय, सहायक केन्द्राधिक्षक का मानदेय, वीक्षक का मानदेय, मंत्रालयिक कर्मचारी का मानदेय, सहायक कर्मचारी का मानदेय, केन्द्र चार्जेज प्रश्न पत्र निर्माण, उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन की दरों में वृद्धि की जावें और गुणवता लाने के लिए इन चार्जेज को अच्छा किया जाना आवश्यक समझा गया।

5. **समकक्षता का निर्धारण**

यह बिन्दु आगामी बैठक के लिए डेफर किया गया।

6. **संकाय गठन का प्रस्ताव और शैक्षणिक का प्रस्तावः–**

विश्वविद्यालय में अलग संकाय नही है, संघटक महाविद्यालय भी नही है पर विश्वविद्यालय द्वारा Affiliated colleges में से संकायाध्यक्ष नियुक्त किये गये है। BOI के संयोजक भी नियुक्त किये गये है। प्रशासनिक विभाग द्वारा अभी से आवश्यकतानुसार नवीन महाविद्यालयों, नये संकाय/विषय खोलने, पद सृजन व आधारभूत संरचना इत्यादि के प्रस्ताव गुणावगुण व निर्धारित मापदण्डों के आधार पर तैयार किये जाएं निर्देश प्राप्त हुए है अतः इस बिन्दु पर कार्यवाही की जा रही है।

7. **विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्रथम वर्ष व पूर्वार्द्ध के छात्रों का विश्वविद्यालय की और से खेल–कूद गतिविधियों में भाग लेने हेतु प्रस्ताव।**

बैठक में निर्णय लिया गया की प्रथम वर्ष के छात्र एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध के छात्रों को खेल–कूद आदि के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय से निवेदन किया जावे कि मात्र प्रथम वर्ष के छात्रों से टीम नही बनती है, अतः राजस्थान विश्वविद्यालय अपने छात्रों के साथ मात्र इसी वर्ष (2015–16) की प्रतियोगिता में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के छात्रों को भी खेलने का मौका दे, जिससे राजस्थान विश्वविद्यालय के पास पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर की जमा राशी में से खेल शुल्क की कटौती कर ली जावे।

8. **छात्रों की उपस्थिति का प्रस्ताव।**

नियमित विद्यार्थियों की उपस्थिति पर निर्णय लिया गया कि यह उपस्थिति कम से कम 75 प्रतिशत होना आवश्यक है।

9. **सम्बद्ध महाविद्यालयों के शैक्षणिक स्तर पर विचार– विमर्श।**

इस क्रम में निर्णय लिया गया कि सम्बद्धता देते समय निर्धारित मापदण्डो का ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि कोई महाविद्यालय इन नियमों की पालना नहीं कर पा रहा है तो उसे स्वयं को सुधारने के लिए/शर्तें पूरी करने के लिए निश्चित समय दिया जावे और कमी पूर्ति में जो कुछ कहा गया है उसकी पालना निश्चित समय में गम्भीरता से करवायी जावें।

10. **कोडिंग**

परीक्षा कार्य में इस क्षेत्र को देखते हुए कोडिंग का कार्य करवाया जाना परम आवश्यक है। सभी विषयों में कोडिंग अनिवार्य है।

अन्त में सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के बाद बैठक समाप्त की गई।

कुलसचिव
पंडित दीनदयाल उपाध्याय
शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।